रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 454] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2009/फाल्गुन 25, 1930

No. 454] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2009/PHALGUNA 25, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2009

आय-कर

का.आ. 740(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 199 की उप-धारा, (3) और धारा 206ग की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (छठवाँ संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2009 से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम 1962 में,–

(क) नियम 37ख के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"धारा 199 के प्रयोजनों के लिए स्रोत पर कटौती किए गए कर के लिए मुजरा

37खक (1) अध्याय 17 के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कटौती किए गए कर और केन्द्रीय सरकार को संदत्त किए गए कर के लिए मुजरा, उस व्यक्ति को जिसको संदाय किया गया है या मुजरा दिया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् व्यक्ति, जिससे कटौती की गई है, कहा गया है) कटौतीकर्ता द्वारा आयकर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत की गई कर की कटौती से संबंधित जानकारी के आधार पर दिया जाएगा ।

(2) (i) यदि वह आय जिस पर स्रोत पर कर की कटौती की गई है वह व्यक्ति जिससे कटौती की गई है से भिन्न किसी व्यक्ति के हाथ में निर्धारण योग्य है, तो स्रोत पर कटौती किए गए कर के लिए मुजरा अन्य व्यक्ति को दिया जाएगा उस दशा में जहां–

(क) व्यक्ति जिससे कटौती की गई है की आय धारा 60, धारा 61, धारा 64, धारा 93 या धारा 94 के उपबंधों के अधीन अन्य व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित है।

(ख) व्यक्ति जिससे कटौती की गई है की आय जब वह व्यक्तियों का संगम या न्यास है यथास्थिति संगम के सदस्यों के हाथ में या न्यासियों के हाथ में निर्धारणीय है।

(ग) व्यक्ति जिससे कटौती की गई है के नाम में धारित किसी आस्ति से आय जब वह किसी फर्म का भागीदार है या अविभक्त हिंदू कुटुंब का कर्ता है यथास्थिति फर्म या अविभक्त हिंदू कुटुंब की आय के रूप में निर्धारणीय है।

(घ) व्यक्ति जिससे कटौती की गई है के नाम से धारित किसी संपत्ति, निक्षेप, प्रतिभूति, यूनिट या शेयर से जो कटौती किए जाने वाले व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के संयुक्त रूप से स्वामित्व में है, आय और उनके हाथ में उसी अनुपात में जिसमें आस्ति का उनका समानुपात है निर्धारणीय है :

परंतु यह कि व्यक्ति जिससे कटौती की गई है कटौतीकर्ता को घोषणा फाइल करेगा और कटौतीकर्ता उपनियम (1) में निर्दिष्ट कर कटौती सूचना के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के नाम में कर कटौती की रिपोर्ट करेगा ।

(ii) खण्ड (i) के अधीन व्यक्ति जिससे कटौती की गई है द्वारा फाइल की गई घोषणा में, उस व्यक्ति का नाम, पता, स्थायी लेखा संख्या जिससे मुजरा किया गया है, भुगतान या उसके संबंध में मुजरा जिसको किया गया है और ऐसे व्यक्ति को मुजरा किए जाने के कारण अंतर्विष्ट होंगे ।

(iii) कटौतीकर्ता उस व्यक्ति के नाम में, जिसके नाम, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कर की कटौती के संबंध में सूचना में मुजरा दर्शित किया गया है, स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रमाणपत्र जारी करेगा और घोषणा को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ।

(3) (i) स्रोत पर काटे गए कर और केन्द्रीय सरकार को संदत्त किए गए कर के लिए मुजरा उस निर्धारण वर्ष के लिए किया जाएगा, जिसके लिए ऐसी आय का निर्धारण किया गया है ।

(ii) जहां कर स्रोत पर काटा जा चुका है और केन्द्रीय सरकार को संदत्त हो चुका है तथा आय कई वर्षों के लिए निर्धारण योग्य है और स्रोत पर काटे गए कर के लिए मुजरा उन वर्षों के लिए उसी अनुपात में जिसमें आय का कर के लिए निर्धारण किया गया है, अनुज्ञेय होगी ।

(4) स्रोत पर काटे गए कर और केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त मुजरा निम्नलिखित आधार पर :–

(i) आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को कटौतीकर्ता द्वारा दिए गए कर की कटौती से संबंधित सूचना और

(ii) प्रत्यय के दावे के संबंध में आय की विवरणी में सूचना समय-समय पर बोर्ड द्वारा विनियमित जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसरण में सत्यापन के अध्यधीन अनुदत्त होगा ।''

(ख) नियम 37(ज) के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''धारा 206 की उप-धारा (4) के प्रयोजनों के लिए स्रोत पर संग्रहित कर के लिए मुजरा

37झ (1) स्रोत पर संग्रहित कर के लिए जमा और अधिनियम की धारा 206ग के उपबधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार को संदत्त कर के लिए मुजरा उस व्यक्ति को जिससे आयकर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को स्रोत पर कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् कलक्टर कहा गया है) द्वारा दिए गए कर के संग्रहण के संबंध में सूचना के आधार पर संग्रहित किया जा चुका है, को किया जाएगा ।

(2)(i) जहां स्रोत पर कर संग्रहित किया गया है और केन्द्रीय सरकार को संदत्त कर दिया गया है ऐसे कर के लिए मुजरा उस निर्धारण वर्ष के लिए किया जाएगा जिसके लिए कर का निर्धारण किया गया है

(ii) जहां कर स्रोत पर संग्रहित किया गया है और केन्द्रीय सरकार को संदत्त किया गया है तथा लीज या अनुज्ञप्ति एक वर्ष से अधिक के लिए संबंधित है, स्रोत पर संग्रहित कर के लिए मुजरा उन वर्षों के जिनके लिए लीज या अनुज्ञप्ति उसी अनुपात में है ।

(3) स्रोत पर संग्रहित कर और केन्द्रीय सरकार के लेखा में संदत्त मुजरा निम्नलिखित आधार पर :–

(i) आय कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को कलक्टर द्वारा दिए गए कर के संग्रहण से संबंधित सूचना ; और

(ii) प्रत्यय के दावे के संबंध में आय की विवरणी में सूचना समय-समय पर बोर्ड द्वारा विनियमित जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसरण में सत्यापन के अध्यधीन अनुदत्त होगा ।''

[अधिसूचना सं. 28/2009/फा. सं. 133/93/2008-टीपीएल]

वी. विजय बाबू, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन आयकर (पाँचवाँ संशोधन), नियम, 2009 अधिसूचना सं. का.आ. 655(अ), तारीख 12-3-2009 द्वारा किया गया था।